BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 332 OF 2024

IN THE MATTER OF:

ATS ONE HAMLET APARTMENTS OWNERSASSOCIATION ..... **APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ... **RESPONDENTS**

INDEX

SL. NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	Affidavit on Behalf Of Uttar Pradesh Pollution Control Board	1-6
2.	**ANNEXURE-1** Copy of the letter dated 14.01.2026	7
	ANNEXURE-2 True copy of the reply	8-9
	ANNEXURE-3 **True** copy of said letter dated 24.01.2026	10-
	ANNEXURE-4 true copy of reply dated 27.01.2026	11-20

NEW DELHI
DATED: 31.01.2026

(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 332 OF 2024

IN THE MATTER OF:

ATS ONE HAMLET APARTMENTS OWNERS ASSOCIATION ..... APPLICANT

NOTARY N.C. Sharma G.B. Nagar Reg. No. 1218 GOVT. OF INDIA NOTARIAL NOTARIAL

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ... RESPONDENTS

**AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 02
UTTAR PRADESHPOLLUTION CONTROL BOARD**

I, Reetesh Kumar Tewari, aged about 52 years, S/o Shri J.N. Tewari, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter UPPCB), Noida, Gautam Buddh Nagar do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, in the above noted capacity, am well conversant with the facts and records of the present case, hence am competent and authorized to swear this affidavit.

NOTARY N.C. Sharma G.B. Nagar Reg. No. 1218 GOVT. OF INDIA

2. That this Hon'ble Tribunal has vide its order dated 06.11.2025 directed as under:

"3. Meanwhile, Forest Department and UPPCB are again directed to consider and ascertain the parameters on the basis of which environmental damage compensation can be ascertained in the case of illegal felling of trees and submit the

report in this regard at least one week before the next date of hearing suo-motu"

3. That this Hon'ble Tribunal has vide its order dated 21.03.2025, in Original Application No. 335 of 2023, Pramod Tyagi Verses State of NCT of Delhi, has passed the following directions:

...94. Before parting, we may also observe that it has come to our experience that almost all State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees have refrained from computing and assessing any environmental compensation due to illegal cutting of trees despite having caused serious damage to environment only on the pretext that no methodology or guideline has been provided for computation of environmental compensation for illegal cutting of trees. This stand of State Pollution Control Boards and Pollution Control Committees is neither justified nor consistent with the environmental jurisprudence particularly, with the 'Polluter Pays' principle, in as much as, wherever there is a damage to environment due to any activity which includes illegal cutting of trees, the principle of 'Polluter Pays' is attracted and being Regulatory body, it is incumbent upon State Pollution Control Boards and Pollution Control Committees to come forward by computing, imposing and assessing environmental compensation for illegal cutting of trees and realise the same from the violator(s) by applying principle of 'Polluter Pays'. The inaction on the part of Statutory Regulators in this regard has to be deprecated. Whenever law requires something to be done, the same must be done in accordance with the provisions if made and if not made, by working out reasonable guidelines in this regard since such power of issuing directions is conferred upon the Statutory 60 Regulators under Section 33A of Water Act, 1974 and Section 31A of Air Act, 1981 and Section 5 of EP Act, 1986. Whenever occasion arise, the law requires that Statutory Regulator(s) must act to enforce law and in case of illegal cutting of trees causing damage to environment, one of the functions required to be performed by Statutory Regulator is application of principle of 'Polluter Pays'.

NOTARY N.C. Sharma G.B. Nagar Reg. No. 1218 GOVT. OF INDIA

95. *To cut short, since, in the present case, we have approved the guidelines prepared by UKPCB for assessment and computation of environmental compensation for illegal felling of trees causing damage to environment, in respect of the area within the jurisdiction of DPCC, we find it appropriate that the same guidelines be extended to be observed and followed by all State Pollution Control Boards and Pollution Control Committees including CPCB whenever/wherever any occasion arises for determination of environmental compensation due to illegal felling of trees, until different methodology or guidelines is laid down, prepared or evolved by concerned Statutory Regulator at the State or Union Territory level or by CPCB at PAN India level, and, environmental compensation shall be determined for illegal felling of trees accordingly...*

98. *In order to give effect to the direction given in paras 94 and 95, copy of the judgment shall be forwarded by Registry to all the Chief Secretaries of States and Union Territories; Member Secretaries of State Pollution Control Boards and Pollution Control Committees; Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries, Environment and Forest of all the States and Union Territories; Director General (Forest), MoEF&CC, New Delhi; Member Secretary, CPCB and Secretary, MoEF&CC, Government of India for information and compliance.*

4. That in view of the directions of this Hon'ble Tribunal in Original Application No. 335 of 2023 the methodology for assessment of Environmental Compensation for illegal cutting of trees as formulated by Uttarakhand Pollution Control Board, the Environment Compensation can be calculated basis the following considerations / method:

NOTARY N.C. Sharma G.B. Nagar Reg. No. 1218 GOVT. OF INDIA

Environment Compensation = [Cost Factor x Trunk area of Tree x Species Factor x Condition Factor x Location Factor]- Royalty Value

5. That in the joint enquiry report dated 05.07.2024 it was found as follows:

"In compliance of the order dated 03.04.2024 passed in O.A. No. 332 of 2024 ATS One Hamlet Apartment Owner Association Vs. Government of Uttar Pradesh & Ors. filed before the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi and Letter No. 7302/35-1 dated 20.06.2024 of Divisional Forest Officer, Gautam Budh Nagar, the joint investigation was conducted on 26.06.2024 for destroying the green belt on the Land close to Group Housing Society located in Sector 104 of Gautam Budh Nagar, Noida and by illegally cutting the trees, upon complaint by Maharshi Yogi Ashwam Trust, Maharshi Nagar, Sector 110 Noida. It was found in the Joint Investigation that mainly Subul, Prosopis Juliflora, Seerus, Neem, Beil, Mango, Peepal etc. specifies of trees were cut down without permission for construction of the road by J.C.B. on the land of 0.51 Hectares of Ashram in Sector 104, Noida, the estimation whereof was done by the said land close to the site and Sample Planting (16 X 16 Meter) was done in these standing trees. On the basis of the Sampling, out of the chopped trees, 16 trees, Neel, one Beil, 2 Mango, one Peepal were found to be of restricted species. All the said Trees

NOTARY N.C. Sharma G.B. Nagar Reg. No. 1218 GOVT. OF INDIA

were located on the private land of Maharshi Yogi Ashram Trust, Maharshi Nagar."

6. That however, details about the trees have not been mentioned, hence the Regional Office, U.P. Pollution Control Board has written a letter dated 14.01.2026 to Divisional Forest Officer, Gautam Budh Nagar, Forest Division, NOIDA. True copy of the said letter is being enclosed herewith and marked as **Annexure-1.**

7. That a reply dated 20.01.2026 has been received from the office of Divisional Forest Officer, Gautam Budh Nagar, Noida wherein referring to order dated 04.12.2024 passed by this Hon'ble Tribunal in O.A. No. 147 of 2024; Hardeep Sharma Vs. Ramesh Chandra Arya & Ors. It was informed that the Uttarakhand Pollution Control Board has submitted a detailed report about the computation of Environment Compensation, hence the U.P. Pollution Control Board should also calculate the environment compensation. True copy of the reply is being enclosed herewith and marked as **Annexure-2**.

8. That as the details about the trees which have been fell are not available with the U.P. Pollution Control Board, hence again a letter dated 24.01.2026 was sent to the Divisional Forest Officer, Gautam Budh Nagar, Forest Division, Noida to send the details of the trees as also the factors to be used for compensation. A copy of said letter is being enclosed herewith and marked as **Annexure-3**.

NOTARY N.C. Sharma G.B. Nagar Reg. No. 1218 GOVT. OF INDIA

9. That in response to the said letter, a reply dated 27.01.2026 was received in which number of trees have been given and the selling price of the plants have been given. Besides this, the value of wood as per the diameter of the trunk has also been given but in the absence of other factors it is difficult to compute the compensation as per formula approved by this Hon'ble Tribunal in the case of Uttarakhand. A true copy of reply dated 27.01.2026 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-4**.

The above facts are being placed for kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

DEPONENT

VERIFICATION:

I, the abovenamed deponent, do hereby verify that the contents of above affidavit are true to my knowledge derived from official record. No part of the same is false and nothing has been concealed therefrom.

VERIFIED ON THIS THE 30. DAY OF JANUARY, 2026 AT NOIDA.

DEPONENT

NOTARY
N.C. Sharma
G.B. Nagar
Reg. No. 1218
GOVT. OF INDIA

ATTESTED
Naveen Chandra Sharma
Advocate Notary
Dadri Noida (G.B Nagar)

30 JAN 2026

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांकः 1536/L-192/25 **दिनांकः** 14-01-2026

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
ई–1, सेक्टर–01, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

विषयः– विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 332/2024 ATS One Hamlet Apartment Owner Association Vs. Government of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0 3011/35–1 दिनांक 08.12.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 332/2024 ATS One Hamlet Apartment Owner Association Vs. Government of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है:–

".....1. Learned Counsel for the applicant submits that during the pendency of this original application further violation of environmental norms has been committed by respondent no.6. He seeks two weeks' time to file the additional affidavit in this regard.
2. Learned Counsel appearing for respondent no.6 also seeks four weeks' time to respond to the reports of the respondents.
3. Meanwhile, Forest Department and UPPCB are again directed to consider and ascertain the parameters on the basis of which environmental damage compensation can be ascertained in the case of illegal felling of trees and submit the report in this regard atleast one week before the next date of hearing.
4. List on 05.02.2026....."

उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिनांक 06.11.2025 के आदेश में वृक्षों की कटाई के मामले में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु मापदंडो का विवरण मांगा गया है। उक्त पत्र के माध्यम आपने अवगत कराया है कि पर्यावरणीय क्षति/क्षतिपूर्ति का निर्धारण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यक्षेत्र/नियंत्रणान्तर्गत है। अवगत कराना है कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वृक्षो की कटाई से हुई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की नियमावली धारित नही है। अतः आपसे अनुरोध है कि वृक्षों की कटाई से पर्यावरण को हुई क्षतिपूर्ति की गणना कर मा0 न्यायलय को निर्धारित तिथि से पूर्व अवगत कराने का कष्ट करे तथा इस कार्यालय को कृत कार्यवाही की सूचना से अवगत कराने की अपेक्षा है।

प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 के आदेश के अनुपालन हेतु व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण एवं सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा है।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त निदेशक (एफ0जी0डी0), भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कौलागढ रोड, डाकघर–आईपीई, देहरादून–248195, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वृक्षों की कटाई से पर्यावरण को हुई क्षतिपूर्ति की गणना की कार्यवाही हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. जिलाधिकारी महोदया, गौतमबुद्धनगर को सादर सूचनार्थ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रकरण में अपेक्षित कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

कोर्ट केस/अति महत्वपूर्ण

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, ई–1, सै0–1, नौएडा।

पत्रॉंक: 3762 /35–1 , गौतमबुद्धनगर, दिनॉंक 20 – जनवरी, 2026

सेवा में

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
नोएडा।

विषयः– माा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 नं0–332/2024, ATS One Hamlet Apartment Owner Association Vs. Government of Uttar Pradesh & ors. में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– 1. इस कार्यालय के पत्रांक–3011/35–1, दिनांक 08.12.2025।
2. आपके कार्यालय का पत्रांक–1536/L-1925/25, दिनांक 14.01.2026।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या–332/2024 ATS One Hamlet Apartment Owner Association Vs- Government of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है:–

".....1. Learned Counsel for the applicant submits that during the pendency of this original application further violation of environmental norms has been committed by respondent no.6. He seeks two weeks' time to file the additional affidavit in this regard.

2. Learned Counsel appearing for respondent no.6 also seeks four weeks' time to respond to the reports of the respondents.

3. Meanwhile, Forest Department and UPPCB are again directed to consider and ascertain the parameters on the basis of which environmental damage compensation can be ascertained in the case of illegal felling of trees and submit the report in this regard atleast one week before the next date of hearing.

4. List on 05.02.2026.....

उपरोक्तानुसार मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिनांक 06.11.2025 के आदेश में वृक्षों की कटाई के मामले में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु मापदंडो का विवरण मांगा गया था। चूंकि पर्यावरण क्षति (Environmental compensation) विषयवस्तु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आता है, अतः इस कार्यालय के पत्रांक–3011/35–1, दिनांक 08.12.2025 द्वारा आपको उक्त रिपोर्ट मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल करने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु आपके कार्यालय पत्रांक–1536/L-1925/25, दिनांक 14.01.2026 द्वारा वृक्षों की कटाई से सम्बन्धित नियमावली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में धारित ना होने की आख्या प्रेषित की है।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित समान प्रकृति के वाद ओ0ए0 नं0–147/2024, हरदीप शर्मा बनाम रमेश चन्द्र आर्या व अन्य मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांकित 04.12.2024 (प्रति संलग्न) में उल्लिखित निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट है कि वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में भी पर्यावरणीय क्षति की गणना एवं अधिरोपण का कार्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किये जाने के आदेश दिये गये है एवं उक्त वाद में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वृक्ष पातन के सम्बन्ध में पर्यावरणीय क्षतिपूति की गणना का कार्य किया गया है:–

38.... We intend to clarify at this stage that an illegality committed in felling of a tree in violation of the laws which requires permission from the Competent Authority before felling of trees, and penalty imposed for such violation, is not something akin to the loss caused to the environment due to illegal felling of trees for which environmental compensation is to be determined and leviable by application of principle of 'Polluters Pay'. Further, deterioration of environmental compensation is not within the Province of the Forest Officers or any district authority but within the power and ambit of concerned Pollution Control Board/Committee.....

86.... Shri Mukesh Verma, Learned Counsel appearing for UKPCB stated that since framework for computation and assessment of Environmental Compensation for illegal felling of trees has been finalized, now UKPCB is proposing to take appropriate action for assessment of Environmental Compensation and its computation in accordance with above framework against persons responsible for illegal felling of trees by application of 'Polluter Pays' principle after giving due opportunity of hearing to all concerned parties. ....

87.... Since the issue now has crystallized in this matter with regard to Environmental Compensation leviable from persons responsible for illegal felling of trees of land in question and in exercise of powers to issue directions, UKPCB is empowered to implement 'Polluter Pays' principle by issuing directions for payment of Environmental Compensation, we find it appropriate to permit UKPCB to proceed in the matter for computation and assessment of environmental compensation for illegal felling of trees and recover same from violators but before passing any final order in this regard, adequate opportunity of hearing to all stakeholders shall be provided by UKPCB in accordance with law. This exercise shall be completed within two months and a compliance report shall be filed by 15.02.2025 with Registrar General of this Tribunal. If any further order is required, Registrar General shall place the matter before appropriate Bench....

अतः उक्त के आलोक से स्पष्ट है कि वाद ओ0ए0 नं0–147/2024 में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वृक्षों की कटाई से हुई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना के सम्बन्ध में सिद्धान्त सहित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उक्त प्रकरण में वृक्षों की कटाई के सम्बन्ध में पर्यावरणीय क्षति की गणना रिपोर्ट उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दाखिल की गयी थी।

अतः आपसे अनुरोध है कि वाद ओ0ए0 नं0–147/2024 में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में प्रश्नगत प्रकरण में भी वृक्षों की कटाई से पर्यावरण को हुई क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में मा० न्यायालय के आदेश दिनांकित 06.11.2025 का अनुपालन कर मा0 न्यायालय में निर्धारित तिथि से पूर्व अवगत कराने का कष्ट करें तथा इस कार्यालय को कृत कार्यवाही की सूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।

प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 के आदेश के अनुपालन हेतु व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण एवं सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 3762 /35–1 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषितः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष महादेय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, मेरठ।
3. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।
4. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

(हस्ताक्षर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
गौतमबुद्धनगर।

१८

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांकः 1638/ L-192/25 दिनांकः 24-01-2026.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
ई–1, सेक्टर–01, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

विषयः– विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 332/2024 ATS One Hamlet Apartment Owner Association Vs. Government of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0 3011/35–1 दिनांक 08.12.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 332/2024 ATS One Hamlet Apartment Owner Association Vs. Government of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है:–

".....1. Learned Counsel for the applicant submits that during the pendency of this original application further violation of environmental norms has been committed by respondent no.6. He seeks two weeks' time to file the additional affidavit in this regard.

2. Learned Counsel appearing for respondent no.6 also seeks four weeks' time to respond to the reports of the respondents.

3. Meanwhile, Forest Department and UPPCB are again directed to consider and ascertain the parameters on the basis of which environmental damage compensation can be ascertained in the case of illegal felling of trees and submit the report in this regard atleast one week before the next date of hearing.

4. List on 05.02.2026....."

उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिनांक 06.11.2025 के आदेश में वृक्षों की कटाई के मामले में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु मापदंडो का विवरण मांगा गया है। जिसके सम्बंध में पूर्व में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 147/2024 में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना का उल्लेख किया गया है (आदेश की प्रति संलग्न) तथा ओ0ए0 सं0 335/2023 में पारित आदेश में भी निम्नलिखित उल्लेखित है–

".....4. That in view of the directions of this Hon'ble Tribunal in Original Application No. 335 of 2023 the methodology for assessment of Environmental Compensation for illegal cutting of trees as formulated by Uttarakhand Pollution Control Board, the Environment Compensation can be calculated basis the following considerations / method:

Environment Compensation = [Cost Factor x Trunk area of Tree x Species Factor x Condition Factor x Location Factor]- Royalty Value..."

उक्त के परिपेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में काटे गये वृक्षो की संख्या, Cost Factor, Trunk area of Tree, Species Factor, Condition Factor, Location Factor, Royalty Value प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बंध में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 के आदेश के अनुपालन हेतु व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण एवं सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा है।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनाथ एवं आग्रेम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रकरण में अपेक्षित कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

Rinal 30-1-2026. Sakn

कोर्ट केस/अति महत्वपूर्ण

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, ई–1, सै0–1, नौएडा।

पत्राँकः 3935 /35–1 , गौतमबुद्धनगर, दिनाँक 27 जनवरी, 2026

सेवा में

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
नोएडा।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 नं0–332/2024, ATS One Hamlet Apartment Owner Association Vs. Government of Uttar Pradesh & ors. में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– 1. आपके कार्यालय का पत्रांक–1638/L-192/25, दिनांक 24.01.2026।
2. इस कार्यालय के पत्रांक–3011/3–1, दिनांक 08.12.2025।
2. आपके कार्यालय का पत्रांक–1536/L-1925/25, दिनांक 14.01.2026।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय का सन्दर्भित पत्र–1638/L-192/25, दिनांक 24.01.2026 अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें प्रकरण में काटे गये वृक्षों की संख्या, Cost Factor, Trunk area of tree, Species Factor, Condition Factor, Location Factor, Royality Value सम्बन्धी उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या संलग्न कर आपको प्रेषित है (संलग्नक–1)।

अतः आपसे अनुरोध है कि वाद ओ0ए0 नं0–147/2024 में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में प्रश्नगत प्रकरण में भी वृक्षों की कटाई से पर्यावरण को हुई क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में मा० न्यायालय के आदेश दिनांकित 06.11.2025 का अनुपालन कर मा0 न्यायालय में निर्धारित तिथि से पूर्व अवगत कराने का कष्ट करें तथा इस कार्यालय को कृत कार्यवाही की सूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।

प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 के आदेश के अनुपालन हेतु व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण एवं सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक /35–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, मेरठ।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।
3. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड, लखनऊ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी रेंज, गौतमबुद्धनगर।

पत्राँकः 1386 /35–1 , गौतमबुद्धनगर, दिनाँक 27 जनवरी, 2026

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
गौतमबुद्धनगर।

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 सं0–332/2024, ATS one hamlet Apartments Owners Association Versus State of UP & Ors. में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में विस्तृत तथ्यात्मक आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– 1. आपके कार्यालय का पत्रांक–3925/35–1, दिनांक 27.01.2026।
2. कार्यालय क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा का पत्रांक–1638/L-192/25, दिनांक 24.01.2026।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 सं0–332/2024, ATS one hamlet Apartments Owners Association Versus State of UP & Ors. में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में सन्दर्भित क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा के पत्र के क्रम में आख्या निम्नवत् हैः–

1. प्रकरण में काटे गये वृक्षों की संख्या के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांकित 03.04.2024 के अनुपालन में दिनांक 05.07.2024 को संयुक्त जांच जिसमें वन विभाग, प्रदूषण विभाग, नोएडा प्राधिकरण के प्रतिनिधि उपस्थित थे, की गयी थी (संयुक्त जांच रिपोर्ट संलग्न) (संलग्नक–1), जिसमें प्रतिबन्धित प्रजाति के कुल 20 वृक्षों का अवैध पातन पाया गया। प्रतिबन्धित प्रजातियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	प्रतिबन्धित प्रजाति का नाम	संख्या
1	नीम	16
2	बेल	1
3	आम	2
4	पीपल	1
	योग	20

2. Species Factor, Condition Factor, Location Factor के सम्बन्ध में कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना वन विभाग में उपलब्ध नहीं है। अतः सूचना का प्रेषण किया जाना अपेक्षित नहीं है।
3. Cost Factor के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नर्सरी में पौधों के मूल्य के सम्बन्ध में प्रचलित पत्र की प्रति संलग्न है (संलग्नक–2)।
4. Royality Value के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ के पत्रांक–1508/22–1, दिनांक 02.11.2020 द्वारा निर्गत की गयी दरों की प्रति संलग्न है (संलग्नक–3)।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार आख्या क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
दादरी रेंज, गौतमबुद्धनगर।

E/CC letters 2025

संलग्नक-1

संयुक्त जॉच रिपोर्ट

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 332/2024 ATS One Hamlet Apartment Owner Association Vs. Government of Uttar Pradesh & ors. में पारित आदेश दिनांक 03–04–2024 एवं प्रभागीय वनाधिकारी,गौतमबुद्धनगर की पत्र संख्या 7302/35–1 दिनांक 20–06–2024 के अनुपालन में शिकायत महर्षि योगी आश्रम ट्रस्ट, महर्षि नगर, सेक्टर–110 नोएडा द्वारा अवैध रूप से पेड काटने एवं गौतमबुद्धनगर के सेक्टर–104, नोएडा में स्थित ग्रुप हाउसिंग सोसायटी से सटे भूखण्ड पर ग्रीन बेल्ट को नष्ट कर उस पर अवैध निर्माण करने की शिकायत पर दिनांक 26–06–2024 को संयुक्त जॉच की गयी। संयुक्त जॉच में ज्ञात हुआ कि सेक्टर–104, नोएडा में मौके 0.51 हे0 आश्रम की भूमि पर जे0सी0बी0 के माध्यम से रोड निर्माण करने हेतु मुख्यतः सूबबूल, प्रोसोपिस ज्यूलीफलोरा, सिरस,नीम, बेल, आम पीपल आदि प्रजाति के कई वृक्षो का बिना अनुमति पातन किया गया, जिसका आकलन उक्त भूमि से सटे स्थल एवं इस खडे वृक्षो मे सैम्पल प्लांटिंग (16X16 मीटर) किया गया। सैपलिंग के आधार पर पातित वृक्षो में से सोलह वृक्ष नीम, एक बेल, दो आम, एक पीपल प्रतिबंधित प्रजाति के पाये गये। उक्त समस्त वृक्ष महर्षि योगी आश्रम ट्रस्ट, महर्षि नगर की निजी भूमि पर स्थित थे।

तत्क्रम विभागीय कार्यवाही करते हुए वन अपराध सख्या 08/2024–25 इजरा कर वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही कर प्रतिकर रू0 2,00,000.00 प्राप्त किया गया एवं उ0प्र0 अभिवहन नियमावली 1978 की धारा 3/28 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अमल लाते हुए रू 50000.00 प्राप्त किया गया। कुल प्रतिकर यस बैंक द्वारा जारी डीमाण्ड ड्राफ्ट संख्या 253435 दिनांक 04–07–2024 द्वारा रू0 2,50,000.00 प्राप्त कर जमा कराया गया।

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक–1. भूमि अभिलेख की प्रति।

2. प्रतिकर प्राप्त करने संबंधी आदेश की प्रति।

3. फोटोग्राफ।

Ananika (ANANIKA) RFO, Dadri

05/07/2024 RFO-C.C.

5/7/24 PRASHANT KUMAR VAN DAROGA

05/07/2024 (P.P. Singh) U.P. Pollution Control Board NOIDA

पत्रॉक / दिनॉक्ति।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-2

संख्या–78/14–5–2016–67/87–टी0सी0

प्रेषक,

संजीव सरन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

02 MA. 2016

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 26 अप्रैल, 2016

विषयः– वन विभाग की पौधशालाओं से बिक्री किये जाने वाले पौधों के विक्रय मूल्य का निर्धारण।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक आपके पत्रांक–जी–914/4–20 (विक्रय मूल्य) दिनांक 06–1–2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–293/14–5–2014–67/87–टीसी, दिनांक 16–6–2014 द्वारा पूर्व में उपर्युक्त के संदर्भ में विक्रय मूल्य निर्धारित किया गया था। तत्पश्चात पत्र दिनांक 06–1–2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से वन विभाग की पौधशालाओं से विक्रय किये जाने वाले पौधों के विक्रय मूल्य का निर्धारण निम्नवत किया जाता है :–

क0सं0	पौधों की श्रेणी	प्रस्तावित विक्रय दर (मजदूरी रू0 161/– प्रतिदिन)
1	2	3
1	एक वर्षीय पौध	
	(अ)–थैली	7.00
	(ब)–पिण्डी	15.00
2	दो वर्षीय पौध	
	(अ)–थैली	9.00
	(ब)–पिण्डी	23.00
3	शोभाकार पौध (गुलमोहर, जेकरेण्डा) अमलतास, सिल्वर ओक, पेल्टोफौरम, बोगेनविलिया आदि)	23.00
4	अतिविशिष्ट पौध (अशोका पेम्डुला, सीता अशोक, मौलश्री आदि)	45.00
5	क्लोनल विधि द्वारा उगाए गए	
	(अ)–शीशम	09.00
	(ब)–यूकेलिप्टस, पॉपलर	24.00
6	हाईटेक पौधशाला में उगायी जाने वाली पौध	10.00
7	8 से 12 फीट ऊँची पौध	80.00
	नोट– 1–एक वर्षीय एवं दो वर्षीय पिण्डी पौध हेतु प्रस्तावित दरों में पिण्डी खुदान व्यय रू0 3.81 प्रति पौध सम्मिलित है। 2–अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसंधान, उ0प्र0 कानपुर ने अपने पत्रांक– 754/जी0ओ0, दिनांक 04–1–2016 में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में जो मजदूरी के दरों में वृद्धि की गयी है वह काफी कम होने के कारण पूर्व में जारी शासनादेश संख्या–293/14–5– 2014–67/87–टीसी, दिनांक 16–6–2014 द्वारा क्लोनल पौध व हाईटेक पौधशाला में उगाई जाने वाली पौध की दर को यथावत रख जाना उचित होगा।	

3438

APCCF(SF)

PCCF
27/4

D1 may

28/4/16

2– वृहद वृक्षारोपण हेतु अधिक से अधिक पौध उठान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया जाय कि किसानों की मांग के अनुसार ही विभिन्न प्रजातियों के पौधों का उगान किया जाये।

3– उपरोक्त विक्रय दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–7–153/दस–16, दिनांक 06–4–2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव सरन)
प्रमुख सचिव

संख्या–78(1)/14–5–2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से परिचालित करने का कष्ट करें।
4– मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6– महालेखाकार–।।, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7– समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
8– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9– डायरेक्टर, डिफेन्स लैण्ड कन्टोंमेन्ट मिनिस्ट्री आफ डिफेन्स, सेन्ट्रल कमान्ड, कन्टोंमेन्ट, लखनऊ।
10– समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
11– वित्त (ई–7) अनुभाग।
13– गार्ड फाइल/वन अनुभाग–5

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)
विशेष सचिव

संलग्नक - 03

कार्यालयः वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ

(223/1,सिविल लाइन, मेरठ-250001)

स्थाई आदेश संख्याः 1508 /22-1, मेरठ, दिनांक 02/11/2020

वृक्षों एवं जलौनी लकडी को अनुसूचित दरों के पुनरीक्षण निर्धारण- आदेश

इस कार्यालय के स्थाई आदेश संख्या- 01/22-3 दिनांक 25.02.2016 द्वारा वृक्षों एवं जलौनी लकडी की अनुसूचित दरों का पुर्नमूल्यन कर निर्धारण किया गया था। वर्ष 2016 में निर्धारित अनुसूचित दरों में प्राप्त रायल्टी एवं बाजार दरों में अप्रत्याशित वृद्धि हो चुकी है। अतः वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 की दरों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में पाये जाने वाले विभिन्न प्रजातियों के हरे (खडे या उखडे) ठोस वृक्षों एवं जलौनी लकडी के लिये पुर्नमूल्यांकन करते हुए दरों का निर्धारण निम्नप्रकार किया जाता है। ये दरें तत्कालिक प्रभाव से लागू होंगीः-

तालिका न0-1

क्र0 स0	वृक्षों की प्रजाति	विभिन्न सेन्टीमीटर व्यास वर्ग के वृक्षों की अनुसूचित दरें (रूपये में)									
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से ऊपर
1	शीशम	75	250	2610	7670	15360	25500	38360	54000	72190	92810
2	जामुन	110	320	1920	3960	11540	19180	28770	33120	37470	0
3	सागौन	850	1870	4610	16220	37120	65190	101360	145020	0	0
4	खैर	193	750	8839	20612	37616	58228	80153	0	0	0
5	आम	220	430	3650	10370	20720	34640	51420	60680	70350	0
6	शहतूत	32	47	53	588	956	1281	1628	0	0	0
7	पापडी	42	105	1008	3980	5901	8211	10910	12527	0	0
8	पीपल,नीम, गोल्डमोहर, अर्जून, लिसौडा, बकैन, अशोक, आदि	60	140	1050	2530	4770	7720	11510	14740	0	0
9	कोकाट (अन्य)	63	153	778	1953	3906	6630	9758	13080	0	0
10	सुबबूल, अमलतास	50	200	810	1787	3574	6505	9746	0	0	0
11	बबूल, ज्यूलीपलोरा (छोटे आकार के वृक्ष प्रजाति)	44	178	744	1632	3252	5916	8869	0	0	0
12	कोमल काष्ठ, सेमल, सिरस, गूलर, मलबरी, बरगद, पोपलर आदि	47	105	683	2216	4568	7959	11645	17840	0	0

यूकेलिप्टस	व्यास वर्ग से0मी0 में										
	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55
दर (रू0 में)	30	70	290	580	1060	1600	2430	3870	4870	5800	6880

जलौनी लकड़ी– रूपये 575.00 प्रति घनमीटर (मृदु काष्ठ)
रूपये 1150.00 प्रति घनमीटर (कठोर काष्ठ)

1. उपरोक्त दरें केवल हरे (हरे या उखड़े) ठोस (साउण्ड) वृक्षों के लिये मान्य होगी। सूखे (सूखे या उखड़े) वृक्षों की दरें उपरोक्त दरों का 3/4 तथा योग्य (फिट) और अयोग्य (अनफिट) हरे (खड़े या उखड़े) वृक्षो की दरें कमशः 2/3 तथा 1/3 होगी।
2. खैर की दरे (खड़े या उखड़े) योग्य (फिट) वृक्षों के लिये है। अयोग्य (अनफिट) वृक्षो की दरें योग्य (फिट) वृक्षो की दरों का 1/2 होगी।

पातित वृक्षों के प्रकाष्ठ की अनुसूचित दरों का पुनरीक्षण एवं निर्धारण

उक्त प्रकाष्ठ (सी–1 एवं सी–17) एवं वन निगम के प्रकाष्ठ की किस्म में कोई अन्तर नही होता है। वर्ष 2007 के पातित वृक्षो का प्रकाष्ठ की अनुसूचित दरों का पुनरीक्षण एवं निर्धारण के आधार को ध्यान में रखतें हुए निम्न तालिकाओ मे प्रजातिवार आधार मूल्य निर्धारण किया जाता है–

तालिका नं0–2

शीशम गोल प्रकाष्ठ का आधार मूल्य

क्र0सं0	लम्बाई (मीटर में)	प्रथम श्रेणी के प्रकाष्ठ का मूल्य रू0 (प्रति घ0मी0) मध्य घेरी (से0मी0 में)				
		31–60	61–90	91–120	121–150	151 से ऊपर
1	0.95	6720	15245	19050	20965	24710
2	1.25	6720	15245	21360	21825	24710
3	1.55	9880	17045	21825	22110	24710
4	1.85	10910	18675	22110	25445	32925
5	2.15	13030	21660	25560	29250	34390
6	2.45	13040	21660	25710	29250	36000
7	2.75	15040	21690	28445	29250	37370
8	3.05	15040	21690	28445	29250	37370
9	3.35	15700	22350	32760	33225	39450
10	3.65	15700	22350	32760	33225	39450
11	3.95	16110	22950	34275	34595	39975
12	4.25	17380	24770	34660	35270	40990
13	4.55 तथा अधिक	17380	24770	35345	35870	43970

तालिका न0–3

शीशम चिरान प्रकाष्ठ का आधार मूल्य

क्र0सं0	लम्बाई (मीटर में)	प्रथम श्रेणी के प्रकाष्ठ का मूल्य रू0 (प्रति घ0मी0) क्रास सैक्शन (चौड़ाई अथवा मोटाई से0मी0 अधिक हो (से0मी0 में)					
		2	5.18	8.1.11	11.1.15	15.1.24	24.1.30
1	0.65	9525	13331	16631	20794	22913	26981
2	0.95	9525	13331	16631	20794	22913	26981
3	1.25	10013	17700	20175	23306	24113	26981
4	1.55	13500	17700	20175	23775	24113	35925
5	1.85	17381	20700	32694	24113	27769	36231
6	2.15	18506	24488	27188	27881	31694	39263

	2.45	18506	24488	27188	27881	31894	39263
	2.75	20063	26906	29794	31031	33750	40763
	3.05	20063	26906	29794	31031	33750	40763
	3.35	20588	27844	30844	33544	36244	43031
	3.65	20588	27844	30844	33544	36244	43031
2	3.95	21131	28331	31463	34106	37706	43613
13	4.25	21544	28331	31463	34613	38475	44794
14	4.55	22069	28800	31931	35663	39863	44794
15	4.85	22069	28800	32513	36169	40425	45225
16	5.15	23006	30263	33544	37313	40950	46313
17	5.45	23550	30731	34106	37800	42600	47400
18	5.75	24019	31200	34594	38869	45638	48506

तालिका नं0–4

आम गोल प्रकाष्ठ का आधार मूल्य

क्र0स0	लम्बाई (मीटर में)	प्रथम श्रेणी के प्रकाष्ठ का मूल्य रू0 (प्रति घ0मी0) मध्य घेरी (से0मी0 में)				
		31–60	61–90	90–120	121–150	151 से ऊपर
1	0.95	2290	3600	6109	6357	6684
2	1.25	3055	5837	9441	9713	9928
3	1.55	3055	5837	9441	9821	10040
4	1.85	4554	7638	10360	12192	12413
5	2.15	5347	8893	13231	15521	15794
6	2.45	5347	8893	13231	15521	15794
7	2.75	5347	11184	16558	18058	18276
8	3.05	5347	11184	16558	18058	18549

तालिका न0–5

कोमल काष्ठ प्रजातियों का आधार मूल्य

क्र0स0	प्रजाति	आधार मूल्य रू0 प्रति घ0मी0 (बक्कल सहित)
1	सेमल	3360
2	सिरस	10504
3	गूलर	1843
4	पेपर मलबरी	218
5	पौपलर (30–40) से0मी0 गोलाई	4127

तालिका न0–6

यूकेलिप्टस गोल प्रकाष्ठ का आधार मूल्य

गोलाई से0मी0 में मूल्य रुपये में	
60 से0मी0 गोलाई तक	60 से0मी0 से ऊपर गोलाई तक
4637.00	5713.00

तालिका न0-7

समस्त कोकाट प्रजातियां (तालिका 1 के क्र0स0 8,9,10 की प्रजातियां)

क्र0स0	लम्बाई (मीटर में)	प्रथम श्रेणी के प्रकाष्ठ का मूल्य रू0 (प्रति घ0मी0) मध्य घेरी (से0मी0 में)				
		31-60	61-90	91-120	121-150	151 से ऊपर
1	0.95	2071	3260	5504	5741	6005
2	1.25	2773	5278	8507	8752	8938
3	1.55	2773	5296	8507	8854	9035
4	1.85	4100	6894	9466	10995	11203
5	2.15	4823	8006	11885	13970	14248
6	2.45	4823	8006	11885	13970	14248
7	2.75	4823	10078	14915	16277	16472
8	3.05	4823	10078	14915	16277	16722
9	3.35	5852	10189	17403	18404	18654
10	3.65	5852	10189	17403	18404	18654
11	3.95	5852	11704	17903	18876	19126
12	4.25	5852	11704	17903	18876	19126
13	4.55 तथा अधिक	6186	12079	18407	18876	19126

टिप्पणी-1-क-द्वितीय श्रेणी के प्रकाष्ठ का आधार मूल्य उक्त प्रथम श्रेणी के मूल्य का 75 प्रतिशत होगा।
ख-तृतीय श्रेणी के प्रकाष्ठ का मूल्य प्रथम श्रेणी के प्रकाष्ठ के मूल्य का 50 प्रतिशत होगा।
ग-चतुर्थ श्रेणी के प्रकाष्ठ का मूल्य प्रथम श्रेणी के प्रकाष्ठ के मूल्य का 35 प्रतिशत होगा।
2- यह सम्भव और व्यवहारिक है कि लट्ठे की नपत तालिकाओं में दर्शायी गयी लम्बाई की न हो अतः इसके लिए -5 से0मी0 का फैक्टर प्रयोग किया जायेगा।
3- वन विभाग के जब आधार मूल्य परिवर्तित होगें उक्त मूल्य स्वतः परिवर्तित हो जायेंगे जिसके परिवर्तन की सूचना इस कार्यालय से दी जायेगी।

प्रकाष्ठ का वर्गीकरण

(प्रकाष्ठ की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी का आंकलन)

पातित (कटे हुए) लट्ठों में निम्न 15 दोष पाये जाते है। जिनके अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के प्रकाष्ठ का आंकलन किया जाना है:-

1. टेडापन (BEND) : प्रकाष्ठ के दोना सिरों को जोडने वाली रेखा से अधिकतम हटाव।
2. छेद (HOLE) : कीडों द्वारा छेद के व्यास तथा अधिक छेद होने पर एक वर्ग से0मी0 में छेदों की संख्या अनुसार माप की जाती है।
3. दरार (CRACK) : प्रकाष्ठ के रेशों में दरार।
4. उतार (TAPER DEFECT) : कोई भी असमान्यता व अनियमित्ता जिससे कि प्रकाष्ठ के मूल्य में कमी हो जाती है, मजबूती कार्य करने का गुण बाहरी दिखावट अथवा प्राप्ति पर कुप्रभाव के फलस्वरूप।
5. दीघ्रवृत्त (ELLIPSE) : नयूनतम व्यास अधिकतम का 80 प्रतिशत या उससे कम होने पर।
6. भीमरी छाल (IN-BARK) : बाढ की बढत के फलस्वरूप प्रकाष्ठ में दबी छाल।
7. गुमटेदार (KNOBBY) : छोटी-छोटी बहुत सी गांठो वाला लट्ठा।

चकनाचूर (SHATTER) : गिरने के समय आयी चोट से।

दोष माप इकाई (UNIT & DEFECT) : किसी दोष के प्रकाष्ठ में हुई मूल्य में कमी की परिणाम सूचक इकाई।

घाव (WOUND) :बढते पेड़ पर लगी चोट जो बाद में भर गयी हो।

1. उतार (TAPER) : पेड में ऊपर की ओर की हुई व्यास में कमी।

12. सिरा फटन हार्ट शेक व स्टार शेक (END-CRACK, HEART-SHAKE& STARSHAKE)

13. कप शेक व रिंग शेक (CUP-SHAKE& RING-SHAKE)

14. गांठें (KNOTE) : :

15. दोदर सडन व गलन (ROT) :

उक्त चारों श्रेणियों के वर्गीकरण हेतु दोषों की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जायेगी–

प्रकाष्ठ श्रेणी	प्रति 2.5 मी0 लम्बे लट्ठे में दोषों की अधिकतम सीमा
प्रथम	3
द्वितीय	5
तृतीय	9
चतुर्थ	9 से अधिक

02/11/20

(गंगा प्रसाद)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सा0वा0, मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

पत्रांक 1508 / 22–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, वन निगम लखनऊ।
3– समस्त मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0।
4– समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त मेरठ।

3/11/20

(गंगा प्रसाद)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सा0वा0, मेरठ क्षेत्र, मेरठ।